रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937
No. 804] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/AGRAHAYANA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2015

सा. का. नि. 991(अ).–राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर विभाग (समूह 'ग' पद), के भर्ती नियम, 2003 जो कि नोटिस सर्वर से संबंधित है का अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो अथवा करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग में नोटिस सर्वर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात्–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आयकर विभाग में नोटिस सर्वर (समूह) ग्रुप 'ग', पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः**– उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा उसमें संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों की अनुलग्नक अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हताएँ आदिः**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, शैक्षिक अर्हताएं तथा इससे सम्बद्ध अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा केवल अपने क्षेत्र के संबंधित संवर्ग के व्यक्तियों में से ही की जाएगी, जैसा कि अनुसूची के कॉलम 11 दर्शाया गया है।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकती है।

5. **षिथिल करने की षक्ति**.—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
1. नोटिस सर्वर	(3432)'(2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन बैंड 5200–20200 रूपये+ ग्रेड वेतन 2000/. रू.	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दषा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा भर्ती की दषा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन किया जाएगा।
10	11
100 प्रतिषत् प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति** वेतन बैंड–1 5200–20200+ ग्रेड पे 1800रू. मे ऐसे मल्टी टॉस्किंग कर्मचारी जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पणीः** **1.** नोटिस सर्वर की ग्रेड में पदोन्नति क्षेत्रवार की जाएगी। **2.** ग्रेड में पॉच वर्ष की नियतिम सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर्प्रभार स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा पुराने प्रभार में दी गई सेवा को नए प्रभार में नहीं गिना जाएगा। जिन्होंने अपने स्वयं के अनुरोध पर, स्थानांतरण के उपरांत ऐसे स्थानांतरण पर पदभार ग्रहण किया है। 3. जहॉ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहॉ उनसे वरिष्ठों के संबधं में भी विचार किया

	जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष या इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने एसे कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, तथा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है किन तो उसकी सरंचना	**भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परिस्थितियों में परामर्श लिया जाएगा**
12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1. प्रधान मु. आ. आ.(सं.नि.प्रा.) द्वारा नामित अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त.(मुख्या.) —अध्यक्ष 2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त(सं.नि.प्रा.) द्वारा नामित, आयकर उपायुक्त —सदस्य 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के स्थानीय उपायुक्त, —सदस्य 4. प्रधान मु.आ.आ.(सं.नि.प्र.) द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी जिसका पद आयकर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो। —सदस्य	**लागू नहीं होता ।**

[फा. सं. एचआरडी/सीएम/121/08/2014—15/डायरी सं. 1604/2015—प्रशा. 7]

जती सिंह मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2015

G.S. R. 991(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in Supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Income Tax Department (Group C Post), Recruitment Rules, 2003 relating to Notice Server except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President herby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Notice Server** in the Central Board of Direct Taxes (CBDT), Department of Revenue, Ministry of Finance.

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, Notice Server Group C posts, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and scale of pay.- The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule:

Provided that the recruitment by promotion against post in the Region of a Cadre Controlling Authority Shall be made only from amongst persons belonging to the cadres of that region, as indicated against column 11 of the Schedule.

4. Disqualifications- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to the provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in their regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay**	**Whether Selection or Non-Selection post**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Notice Server	[3432]*(2015) *Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group ‘C’ Non-Ministerial	Pay Band-I, Rs. 5200-20200 + Grade Pay of Rs. 2000.	Not Applicable

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
6	7	8	9
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made**
10	11
100% by Promotion	Multi-Tasking Staff in Pay Band –I Rs. 5200-20200+ Grade Pay of Rs. 1800 with five years regular service in the Grade. **Note:** 1. Promotion to the grade of Notice Server will be made region wise. 2. For the purpose of reckoning five years regular service in the grade, the service rendered by an inter-region transferee in the old region shall not be counted in the new region which he has joined on such

	transfer, if the transfer is on the request of the Officer concerned. 3. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Group `C' Departmen Promotion Committee (for promotion): 1. Addl./JCIT(Hqrs.) nominated by the Pr. CCIT(CCA) - Chairman 2. Dy. CIT to be nominated by the Pr. CCIT(CCA) -Member 3. Local Dy. Commissioner of C&CE - Member 4. One SC/ST Officer not below the rank of DCIT or Liaison Officer as nominated by the Pr. CCIT(CCA) - Member	Not Applicable.

[F. No. HRD/CM/121/08/2014-15/Dy. No.1604/2015-Ad.VII]

JATI SINGH MEENA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.